न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक–14/11/19

मि.न.–88/2019

सरकार बनाम राजेन्द्र कुमार

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारहेडा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 778/0.34है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता मेंसे क्रमशः 0.02 है0 पर राजेन्द्र कुमार पुत्र जयपाल सिंह जाति राजपूत निवासी नारहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत लगाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवतएल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आया । तथा जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया । गैर – सायल ने अपने जबाब मे कथन के अनुसार गैर सायल का अतिक्रमण उक्त आराजीयात पर किया जाना बखूबी साबित होता है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसायल राजेन्द्र कुमार पुत्र जयपाल सिह जाति राजपूत निवासी नारहेडा जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम नारहेडा के खसरा नंबर 778/0.34है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता मेंसे क्रमशः 0.02है0पर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

अतः राजेन्द्र कुमार पुत्र जयपाल सिंह जाति राजपूत निवासी नारहेडा जिला जयपुर को वाके ग्राम नारहेडा तहसील कोटपूतली के ख0न0778/0.34है0 किस्म जमीन मुमकीन रास्ता मेंसे क्रमशः 0.02 है0 पर अतिक्रमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात की गई जोत को हटाया जा कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा नाजायज

रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.60का पचास गुणा 30रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार निलामी ,बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 14/11/19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

वर्ष 2019-20 ...... क. रा० ले० 6
के पृष्ठ संख्या 52.. पर 32......
रुपये कायम किये गये ।
19/11/19
राजस्व लेखाकार
कोटपुतली